न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

आवासीय घर मालिक (प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद यादव)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,

केस संख्या– **419/2020–21,**

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त आवासीय घर के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 51/म0नि0 एवं दिनांक–13.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 633/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं आवासीय घर के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–मकुना वार्ड नं0 11, थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 28.12.2019 के साथ वर्णित है कि–

"गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त स्थान एवं तिथि को अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मियों एवं प्रतिनियुक्त जवानों के सहयोग से स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष की गई तलाशी में अभियुक्त अपने आवासीय घर के एक कमरे में दो गैस भट्टी पर देशी चुलाई शराब निर्माण करते हुए गिरफ्तार हुआ। 15 ली0 क्षमता वाले प्लास्टिक के तीन (03) गेलनों मे करीब 40 ली0 महुआ चुलाई शराब बरामद हुआ। जप्त शराब के नमूने की जाँच न्यायालय के आदेशानुसार की गई।

अतः अभियुक्त के आवासीय मकान के अधिग्रहण की कारवाई के साथ–साथ शेष बचे 39 ली0 शराब के विनष्टीकरण हेतु अग्रतर कारवाई करने की कृपा की जाए।"

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं आवासीय घर के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त आवासीय घर के अधिहरण के बिन्दु पर आवासीय घर मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

आवासीय घर मालिक प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद यादव, पिता–

कुशो यादव, साकिन– मकुना वार्ड नं०– 11, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

आवासीय घर मालिक का कहना है कि वे अत्यन्त ही गरीब, असहाय, बाल बच्चेदार मजदूर समुदाय के लोग हैं। विगत दो वर्ष पूर्व से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वे ऋण पर ऑटो रिक्शा लेकर अपना रोजगार चला रहे थे। लेकिन उपरोक्त उत्पाद कांड में ग्रामीण दुश्मनी के कारण उन्हें गलत रूप से फसा दिया गया और इसे लेकर लगातार दो महीना से उपर मंडल कारा सहरसा में बंद रह जाने के कारण बाल बच्चा भरण पोषण व अन्न दाना के लिए तरस गया। ऑटो रिक्सा भी पूर्णतः बैठ गया और परिवार का जीना दुर्लभ सा हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दो महिना के बाद मुझे जमानत प्राप्त हुआ तब से मैं मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूँ।

इनका आगे कहना है कि घटना तिथि को ग्रामीण पार्टी पॉलटिक्स के कारण उत्पाद पुलिस द्वारा मेरे घर की तलासी करा दी गई, जिसमें पुलिस द्वारा चार डेकची दो गैस चुल्हा एवं दो सिलेण्डर बरामद किया गया। उक्त डेकची, गैस सिलेण्डर व गैस चुल्हा से परिवार का व माल मवेशी का चारा व खाना तैयार किया जाता था। मवेशी को खिलाने के लिए चारा के रूप में उक्त घर में गीला शक्कर भी रखा गया था।

प्रतिवादी का पुनः कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुझे दो गैस सिलेण्डर प्राप्त हुआ था, जिसका प्रयोग हमलोग भोजन बनाने के लिए करते थे। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण दुश्मनों के द्वारा रात में ही मेरे उक्त घर में दारू रख दिया गया था। मैं दारू का कारोबार नहीं करता था बल्कि ऑटो रिक्शा चलाकर व मजदूरी कर अपने परिवार को चलाता था और पत्नी मवेशी पालती थी। मेरे पास रहने के लिए एक घर के अलावा दूसरा घर नहीं है जो घर ईट और ऐसवेस्टस का बना हुआ है और उसमें परिवार के साथ रह रहे है।

इनका अंततः कहना है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और कथित आरोप मेरे उपर प्रथम बार है। इनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ अपने घर को अधिहरण होने से रोक लगाये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि आवासीय घर का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त आवासीय घर को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

घर मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि अधिहरण प्रस्ताव में प्रस्तावित सम्पत्ति का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः, उक्त

	अधिहरण प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत समाहर्त्ता सहरसा। समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 919 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.12.20.

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

8.12.20